कार्यालय नगर परिषद भुआ बिछिया जिला-मण्डला

Muncipal Council Bhua Bichhiya, Distt – Mandla Ph No. 07648 299402
web-nagarpalikabhuabichhiya.com @Email-cmobichhiya@mpurban.gov.in

क्रमांक 101 / न.परि./ राजस्व / 2026 भुआ बिछिया, दिनांक 21/04/ 2026

//दुकानों के अंतरण किये जाने की सूचना//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद बिछिया द्वारा तालिका अनुसार अचल संपत्ति अंतरण नियम 24 फरवरी 2016 तथा संशोधित नियम 04 मई 2021 में दिये गये शर्तो के अनुसार बाजार क्षेत्र में बनी नवीन 31 दुकानों की 30 वर्ष की अवधि के लिये आवंटन हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जा रही है निविदा का विस्तृत विवरण www.mptenders.gov.inपर उपलब्ध है। निविदादाता जो वेबसाइट में पंजीकृत है इस निविदा में दरें प्रस्तुत कर सकते है अंतरण से संबंधित नियम एवं शर्ते संबंधी जानकारी एवं अन्य विवरण कार्यालयीन दिवस में राजस्व शाखा में देखी जा सकती है आरक्षित दुकानों में भाग लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जानकारी निम्नानुसार है-

क्रं.	टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	दुकान का क्षेत्रफल	सरकारी बोली	निविदा प्रपत्र	अमानत राशि	दुकान का आरक्षण	निविदा की अंतिम तिथि
1	**2026_UAD_501783_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.1 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
2	**2026_UAD_501784_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.2 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
3	**2026_UAD_501785_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.3 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा.	**08-06-2026**
4	**2026_UAD_501786_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.4 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा.	**08-06-2026**
5	**2026_UAD_501787_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.5 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
6	**2026_UAD_501788_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.6 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.पि.वर्ग	**08-06-2026**
7	**2026_UAD_501789_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.7 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा.	**08-06-2026**
8	**2026_UAD_501790_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.8 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.जा.	**08-06-2026**
9	**2026_UAD_501791_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.9 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा.	**08-06-2026**
10	**2026_UAD_501792_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.10(भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा.	**08-06-2026**
11	**2026_UAD_501793_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.11 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
12	**2026_UAD_501794_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.12 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.पि.वर्ग	**08-06-2026**
13	**2026_UAD_501795_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.13(भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा.	**08-06-2026**
14	**2026_UAD_501796_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.14 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
15	**2026_UAD_501797_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.15 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा.	**08-06-2026**
16	**2026_UAD_501798_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.16 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित महिला	**08-06-2026**
17	**2026_UAD_501799_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.17 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
18	**2026_UAD_501800_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.18 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
19	**2026_UAD_501801_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.19 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
20	**2026_UAD_501802_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.20 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
21	**2026_UAD_501803_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.21 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
22	**2026_UAD_501804_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.22 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा	**08-06-2026**
23	**2026_UAD_501805_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रं.23 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.जा.	**08-06-2026**

24	**2026_UAD_501806_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.24 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
25	**2026_UAD_501807_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.25 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित महिला	**08-06-2026**
26	**2026_UAD_501808_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.26 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अ.ज.जा	**08-06-2026**
27	**2026_UAD_501809_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.27 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
28	**2026_UAD_501810_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.28 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
29	**2026_UAD_501811_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.29 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
30	**2026_UAD_501812_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.30 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**
31	**2026_UAD_501813_1**	साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्र.31 (भूतल)	120वर्ग फिट	4.50 लाख	**2000/-**	**10000/-**	अनारक्षित	**08-06-2026**

नोट –

1. प्रत्येक निविदाकार शासन द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकृत प्रणाली के पोर्टल की वेबासाइट निविदा वेबसाइटwww.mptendrs.gov.inपंजीकृत होना अनिवार्य है जिस नाम से आई.डी. होगी उसी नाम से निविदा आफर प्रस्तुत किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र की खरीदी आनलाइन वेबसाइट www.mptendrs.gov.inमें आनलाइन पेमेन्ट एवं पोर्टल सार्विस चार्ज के द्वारा दिनांक 08/06/2026 सायं 17:30बजे तक खरीदे जा सकते है।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अमानत राशि आनलाइन पेमेट द्वारा किया जावेगा।
4. निविदा दस्तावेज में पेनकार्ड आधार कार्ड, निविदा आवेदन पत्र अमानत राशि एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षित दुकान के लिये उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदा संबंधी दस्तावेज केवल आनलाइन ही मान्य किये जावेगे।
6. निविदा दिनांक 22/04/2026 समय सायं 18:30 बजे से पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
7. निविदा आनलाइन जमा करने की दिनांक 22/04/2026 समय सायं 18:30 बजे से दिनांक 08/06/2026 सायं 17:30 बजे तक है।
8. निविदा फार्म खोलने की दिनांक 10/06/2026 दोपहर 11:00 बजे से है।
9. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संसोधन का प्रकाशन www.mptendrs.gov.inकी वेबसाइट पर ही किया जावेगा पृथक से सामाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।
10. निविदा से संबधित समस्त अधिकार नगरपालिका परिषद भुआ बिछिया के पास सुरक्षित रहेगा।
11. सभी निविदाकार अपनी निविदाये mponline या मध्यप्रदेश शासन के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन जमा कर सकते है।
12. प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति या अस्वीकृति के अधिकार नगरपरिषद भुआ बिछिया को होगा।

नोटः– यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है निविदा सूचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिये नगरपरिषद भुआ बिछिया के कार्यालय राजस्व शाखा में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर देखी जा सकती है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपरिषद भुआ बिछिया

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद भुआ बिछिया
जिला–मण्डला (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 101–ए/न.पा./राजस्व/26 भुआ बिछिया दिनांक 21/04/2026

1. अध्यक्ष महोदय नगरपरिषद भुआ बिछिया की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संपादक ....समाचार पत्र जबलपुर की ओर एक दिवसीय प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष
नगर परिषद भुआ बिछिया

(राजस्व उप निरीक्षक)
नगरपरिषद भुआ बिछिया

उपयंत्री
नगर परिषद भुआ बिछिया

उपयंत्री
नगर परिषद भुआ बिछिया
जिला–मण्डला

(लक्षमण सिंह सारस)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपरिषद भुआ बिछिया

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद भुआ बिछिया
जिला–मण्डला (म.प्र.)

<u>कार्यालय नगर परिषद भुआ बिछिया जिला मण्डला म.प्र</u>.

नवीन शॉपिंग काम्प्लेक्स / दुकान नीलामी नियम व शर्ते

वित्तीय वर्ष 2025-26

नगर परिषद भवन स्वामित्व की नवनिर्मित दुकानों की आम-नीलामी नगर पालिका स्वामित्व एवं अधिपत्य के प्रवेश अधिकार शुल्क (राईट ऑफ आक्यूपेंसी) द्वारा 30 वर्ष की लीज़ पर प्रत्येक दुकान के लिये पृथक-पृथक की जावेगी।

1 - आरक्षित दुकानों का आवंटन आरक्षित वर्ग के मध्य ई-निविदा में प्रस्ताव आमंत्रित करके आवंटित की जावेगी। आरक्षित श्रेणी की आवंटित दुकान न तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा हस्तांतरित की जावेगी और न ही किसी को उप किराये पर दी जावेगी, यदि निरीक्षण के दौरान अन्य किसी को काबिज पाया जाता है तो दुकान का आवंटन स्वयं निरस्त हो जावेगा।

2 - दुकानो हेतु उच्चतम आफर इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा।

3- दुकान किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा, विलंब की दशा में 12.50 प्रतिशत अधिभार देय होगा एवं प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात प्रचलित किराये में 15 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी।

4 - इस हेतु भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित अमानत राशि पृथक-पृथक प्रत्येक दुकानों हेतु जमा करना होगा। अमानत राशि जमा करते समय दुकान क्रमांक का उल्लेख कराना अनिवार्य होगा आवंटन हेतु प्राप्त उच्चतम ऑफर को छोड़कर शेष आफरकर्ताओं की अमानत राशि वापस की जावेगी। अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

5 - प्रत्येक दुकानों के लिये पृथक-पृथक प्रस्ताव देना अनिवार्य होगा। इस हेतु न्यूनतम मूल्य से कम ऑफर स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

6 - अचल सम्पत्ति की दशा में, उच्चतम बोली लगाने वाले को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से 120 दिन के भीतर उच्चतम मूल्य की 100 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। परन्तु यह और है कि इस प्रकार अन्तरित सम्पत्ति का अधिपत्य सफल बोली लगाने वाले द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा कराये जाने के पश्चात ही दिया जावेगा।

7 - प्रत्येक दुकानों के लिए बोली देने वाले बोलीदार को अपनी बोली वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा यदि वापस लेता है तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी एवं नीलाम की गई दुकान को पुनः नियमानुसार नीलाम किया जावेगा पुनः नीलाम करने पर पूर्व की प्राप्त उच्चतम बोली से कम बोली आने पर क्षति की राशि प्रथम बोली देने वाले की चल-अचल संम्पत्ति से वसूल की जावेगी।

8 - प्रत्येक आफरकर्ता को जिसके नाम आफर मूल्य स्वीकार होगा उसे स्वयं के व्यय से प्रचलित स्टाम्प नियमों के तहत् किराएदारी अनुबंध का पंजीयन करना होगा। दुकानों का अधिपत्य देने के पूर्व 3

माह का किराया अग्रिम नगर पालिका कोश में जमा करना अनिवार्य होगा तथा दुकान को प्रतिमाह की 10 तारीख तक दुकान किराया जमा करना अनिवार्य होगा समयावधि में किराया जमा न करने की स्थिति में नगर पालिका विधान अनुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी तथा इससे जो भी व्यय होगा उसके लिए किरायेदार जिम्मेदार होगा 10 तारीख पश्चात से किराया राशि पर 12 प्रतिशत अधिभार देय होगा।

9 - कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पर दुकान आवंटित होगी दुकानदार किसी अन्य व्यक्ति को दुकान उपकिराये पर (सबलेट) नहीं कर सकेगा। और ना ही बेचेगा। और ना ही गिरवी रख सकेगा।

10 - यदि दुकानदार अर्थात लेजी की लीज़ अवधि में मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामांकित अथवा वैध उत्तराधिकारी के नाम पर हस्तांतरण सामान्य रूप से किया जावेगा। इस हेतु नियम अनुसार शुल्क देय होगा।

11 - दुकान लेने वाले को दुकान में बिजली का मीटर तथा संयोजन स्वयं के व्यय से करना होगा बिजली का कनेक्शन नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर ही करना होगा मासिक जल कर एवं विद्युत चार्ज दुकानदार स्वयं भुगतान करेगा।

12 - दुकानदार को दुकान साफ स्वच्छ तथा अच्छी हालत में रखना होगा वार्षिक रंग रोगन दुकानदार को स्वयं अपने व्यय से करना होगा। दुकान में किसी प्रकार का परिवर्तन बिना नगरपालिका के पूर्व अनुमति के नहीं किया जावेगा। कॉरीडोर का उपयोग ग्राहकों के लिए खुला रहेगा दुकानदार अपनी सामग्री इत्यादि नहीं रख सकेगा।

13 - किराया बकाया की स्थिति में अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन की दशा में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 1961 की धारा 167 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार न.पा. को होगा। एवं दुकान में पुनः प्रवेश का अधिकार 5000/- रू अर्थदंड वसूल कर दिया जावेगा।

14 - दुकान के संबंध में समय-समय पर शासन के जो निर्देश एवं नियम न.पा. द्वारा जारी किया जावेगा वह किराएदार के लिए बंधनकारी होंगे।

15 - दुकान की लीज़ अवधि समाप्त होने पर पट्टेदार/दुकानदार को लीज़ का नवीनीकरण कराने हेतु 3 माह पूर्व आवश्यक कार्यवाही करनी होगी अवसान के पश्चात् 1000 रू प्रतिवर्ष प्रभार के साथ नवीनीकरण किया जावेगा।

16 - यदि संम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

17 - उपरोक्त किसी भी शर्त अथवा किरायेदारी अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की दशा में न.पा. के सक्षम अधिकारी के आदेश पर दुकान तत्काल बिना उत्तर खाली कर न.पा. अधिपत्य में देना होगा। कब्जा नहीं दिये जाने पर न.पा. द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी। तब उसके समस्त खर्चे एवं हर्जाने का दायित्व किरायेदार का होगा।

18 - दुकान अधिपत्य प्राप्त होने के 3 माह के अंदर व्यवसाय प्रारंभ करना अनिवार्य होगा तथा दुकान का उपयोग दुकान के लिए करना होगा गोदाम के लिए उपयोग करना वर्जित होगा।

19 - बोलीकर्ता की स्वीकृत बोली की सम्पूर्ण राशि जमा होने तथा दुकान किरायेदारी अनुबंध प्रचलित स्टाम्प नियम के अंतर्गत स्वयं के व्यय पर संपादित करने के उपरांत ही दुकान का अधिपत्य दिया जावेगा।

20 - मुख्य कार्यपालिक अधिकारी लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यस्थापन वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।

21 - पट्टाधारी किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नही है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती है।

22 - मुख्य कार्यपालिक अधिकारी द्वारा/अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।

23 - पट्टाधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्ही अन्य पदार्थो के संग्रहण की अनुमति नही होगी, जो उसकी संम्पत्ति तथा आस-पास की संम्पत्तियों के लिए असुरक्षित हो।

24 - सम्पत्ति पर पट्टाधारी अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

25 - मुख्य कार्यपालिक अधिकारी लोकहित में संम्पत्ति में सुधार करवाएगा अथवा पट्टाधारी को संम्पत्ति में सुधार करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

26 - केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा आरोपित/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा।

27 -उक्त दुकान अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 संशोधित नियम 2021 एवं 2023 के अंतर्गत प्रदान की जावेगी एवं उक्त नियम में समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित होने का परिषद निर्णय के अनुरूप दुकान नीलामी नियम शर्तो में संशोधन किया जा सकेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद भुआ बिछिया
जिला-मण्डला (म.प्र.)

// शपथ पत्र //

(100/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

1. मै/हम... पिता/पति.. शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूॅ कि .... दिनांक क्रमांक .... के लिये टेण्डर क्रमांक .. .. दिनांक .... में मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सत्य एवं सही है।
2. यह कि टेण्डर में मेरे द्वारा दुकान प्रीमियम हेतु प्रस्तुत ऑफर स्वीकार होने पर सम्पूर्ण राशि निर्धारित समयावधि में जमा कर दी जावेगी।
3. यह कि निविदा की समस्त शर्ते मैने पढकर समझ ली है जो मुझे मान्य है समस्त शर्तो का पूर्णतः पालन करूंगा

शपथकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं नाम

//सत्यापन//

मै .... एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूॅ कि उपरोक्त पैरा 1 से 3 में उल्लेखित तथ्य मेंरे स्वयं के ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है यदि काई सूचना या दस्तावेज झूठी या गलत पाई जाती है तो बिना कोई पूर्व सूचना नगर परिषद भुआ बिछिया जिला मण्डला को अधिकार होगा कि दुकान हेतु मेंरे द्वारा प्रस्तुत ऑफर निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात कर लेवे।

शपथकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं नाम

कार्यालय नगर परिषद भुआ बिछिया, जिला–मण्डला

आवेदन फार्म क्रमांक ....

आवेदन फार्म जमा करने का अन्तिम दिनांक .... समय .... बजे तक कार्यालय में तथा आवेदन फार्म खोलने का दिनांक .... समय शाम .... बजे स्थान नगर परिषद भुआ बिछिया जिला मण्डला।

मै .... पिता/पति .... निवासी .... तहसील भुआ बिछिया जिला मण्डला (म0प्र0) का निवासी हूँ। नगर परिषद द्वारा निर्मित दुकाने स्थान साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में निर्मित दुकान क्रमांक .... आवंटन के द्वारा लेना चाहता हूँ। मैने नगर परिषद भुआ बिछिया जिला मण्डला (म0प्र0) द्वारा तय की गई शर्तो को एवं निर्माण की योजना को पूर्णतः देख एवं समझ लिया है। जो मुझे पूर्णतः स्वीकार है। अतएव नगर परिषद भुआ बिछिया जिला मण्डला (म0प्र0) से अनुबंध करते हुऐ प्रस्तावित स्थान में निर्मित दुकान क्रमांक .... निर्धारित समय 30 वर्षो के लिये लेने को तैयार हूँ तथा ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिये निर्धारित अमानत राशि ..../–(शब्दो में ....) ऑनलाइन पेमेंट द्वारा जमा किया जावेगा। इस टेण्डर को स्वीकृत किये जाने पर यह राशि मेरे द्वारा शर्तो के अन्तर्गत अंतिम है। प्रस्तावित दुकान क्रमांक .... के लिये पगडी की राशि भूगतान करने के लिये सहमत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :–
पता :–
मो0न0 :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Saras
Date: 2026.04.23 07:46:55 IST
Location: Madhya Pradesh-MP